रजिस्टर्ड नं०-एन०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-4।
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 15 जून, 2019 ई० (ज्येष्ठ 25, 1941 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, झांसी नगर निगम, झांसी

09 जनवरी, 2019 ई0

सं0 1026/पी0ए0/न0आ0/न0नि0/2018-19–झाँसी नगर निगम ने उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 (यथासंशोधित) की धारा 541 उपधारा (1) (19) (40) (42) एवं धारा 550 के अन्तर्गत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत "ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016" के अन्तर्गत वांछित व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन एवं विनियमन हेतु उपविधि (प्रारूप) बनायी है। यह उपविधि ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भण्डारण परिवहन, प्रसंस्करण एवं निपटान तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रकरणों के सभी मामलों एवं वस्तुओं के विनियमन के सम्बन्ध में है। इस उपविधि (प्रारूप) की स्वीकृति नगर आयुक्त/प्रशासक नगर निगम के संकल्प संख्या 01, दिनांक 08 सितम्बर, 2017 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है, जिसका प्रकाशन स्थानीय समाचार-पत्रों क्रमशः दैनिक "विश्व परिवार झाँसी" एवं दैनिक "इन्कलाफ झाँसी" में दिनांक 28 मार्च, 2018 में कराया गया था। प्रकाशन की तिथि से 01 माह के समय के अन्दर आधिकारिक रूप से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये अतः अधिसूचना सरकारी गजट की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2017

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) इस उपविधि का नाम " झाँसी नगर निगम की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2017" कहलायेगी तथा सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू/प्रभावी होगी।

(2) यह उपविधि उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 के अन्तर्गत संशोधित होने की तिथि तक प्रभावी रहेगी। इस प्रकार के संशोधन स्थानीय समाचार-पत्र में पर्याप्त नोटिस देकर प्रकाशित किये जायेंगे।

2–लागू होगा–यह उपविधि झाँसी नगर निगम की सीमा में (भविष्य में विस्तारण के फलस्वरूप संशोधित सीमायें इसमें सम्मिलित मानी जायेंगी) लागू होगी एवं सभी सार्वजनिक स्थलों, सभी ठोस अपशिष्ट उत्पादन करने वालों, प्रत्येक स्वामित्व/अध्यासन वाले परिसर से सम्बन्धित व्यक्तियों पर जो झाँसी नगर निगम की सीमा में है पर लागू होगी।

Scanned by CamScanner

इस उपविधि में जब तक कि इस सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो उपविधि एवं परिशिष्ट में प्रयुक्त शब्दों परिभाषा निम्नवत् है–

परिभाषा–जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में–

(1) "अभिकरण या अभिकर्ता" से तात्पर्य नगर निगम झाँसी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संस्था एजेन्सी या फर्म या संविदाकर्ता से है, जो उसकी ओर से गलियों की सफाई और अपशिष्ट के संग्रह, प्रबंध परिवहन, भण्डारण, पृथक्कीरण संग्रहण, यूजर चार्ज, शमन शुल्क के संग्रह आदि कृत्य का निर्वहन करें।

(2) "जैवनाशित अपशिष्ट (बॉयोडिग्रेडिबुल वेस्ट)" से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा–कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है। उदाहरण स्वरूप पेड़ पौधों/जानवरों से जनित अपशिष्ट जैसे रसोई अपशिष्ट, जानवरों का गोबर, मीट/मछली का अपशिष्ट अथवा अन्य कोई पदार्थ जो माइक्रोआर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेड/डिकम्पोज हो सकता है।

(3) "जैवचिकित्सा अपशिष्ट (बॉयोमेडिकल वेस्ट)" से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो किसी प्राणी या जन्तु के निदान या उपचार के दौरान या अनुसंधान क्रियाकलापों में या जीवों के उत्पादन या परीक्षण में सृजित हो। इसके अन्तर्गत अनुसूची तीन में उल्लिखित श्रेणियां भी सम्मिलित हैं।

(4) "शुष्क अपशिष्ट से तात्पर्य" बायो डिग्रेडिबुल अपशिष्ट और गली के निष्क्रिय कूड़ा करकट से भिन्न अपशिष्ट से है जो जिसके अन्तर्गत री–साईक्लेबिल अपशिष्ट, नान–रिसाईक्लेबिल अपशिष्ट, ज्वलनशील अपशिष्ट और सेनेटरी नैपकिन और डाइपर आदि से है।

(5) "घरेलू परिसंकटमय (हजार्डस) अपशिष्ट" से तात्पर्य घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक/हानिकारक अपशिष्टों जैसे फेंके हुए पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सी.एफ.एल. बल्ब, ट्यूबलाइटें अवधि समाप्त औषधियाँ, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त सुइयां तथा सिरिंज और संदूषित पटि्टयाँ आदि से है।

(6) "बॉयो–मीथेनेशन से तात्पर्य" ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें माइक्रोबियल एक्शन द्वारा कार्बनिक पदार्थ का इन्जाइमी डीकम्पोजीशन/ब्रेकिंग डाउन होता है जिसके कारण मीथेन से भरपूर बायोगैस का उत्पादन होता है।

(7) "द्वार-द्वार संग्रहण से तात्पर्य" घरों, दुकानों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीत परिसरों के द्वारा तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अन्तर्गत किसी आवासीत सोसायटी, बहुमंजिले भवन या अपार्टमेन्ट, बड़े आवासीत, वाणिज्यिक या संस्थागत काम्पलेक्स या परिसरों में भूतल पर प्रवेश द्वार या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करने से है।

(8) "विकेन्द्रित प्रसंस्करण" से तात्पर्य बायोडिग्रेडिबुल अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिये बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्रोत के निकटतम रिसाईक्लेबिल सामग्रियों की प्रतिप्राप्ति करने से है ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिये अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पड़े।

(9) "ब्रांड ओनर से तात्पर्य" ऐसी किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी से है जो किसी सामग्री की एक रजिस्टर्ड ब्रैंड लेबल के अन्तर्गत वाणिज्यिक विक्रय करती है।

(10) "निपटान से तात्पर्य" भूजल, सतही जल, परिवेशी वायु के संदूषण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने लिये यथा विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रसंस्करण उपरान्त अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा करकट और सतही नाले की सिल्ट का अंतिम यथा सुरक्षित निपटान से है।

(11) "नगर निकाय" से तात्पर्य नगर निगम झाँसी से है.

(12) "वृहद् अपशिष्ट सृजक (बल्क वेस्ट जनरेटर)" से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट उत्पादकों से है जो औसतन 100 किलोग्राम की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादित करते है तथा इनमें केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक या प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों कॉलेजो, विश्वविद्यालयों अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावासों, होटलों वाणिज्यिक स्थापनाओं बाजारो, पूजा स्थलों, स्टेडियमों और खेल परिसरों द्वारा अधिकृत भवन या अन्य प्रयोगकर्ता जैसे कि क्लब जिमखाना, शादीघर, मनोरंजन परिसर भी शामिल है, आदि से है।

(13) "संग्रहण" से तात्पर्य नियत संग्रहण स्थलों या अन्य स्थानों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के उठाने और हटाने से है.

(14) "स्रोत पर संग्रहण" से तात्पर्य किसी भवन के परिसर या भवनों के किसी समूह के परिसरों के भीतर से नगर निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण से है। इसे "घर-घर संग्रहण भी कहा जा सकता है.

(15) "सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र" से तात्पर्य किसी ऐसी भण्डारण सुविधा से है जिसकी व्यवस्था तथा रख-रखाव नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण हेतु एक या उससे अधिक परिसरों के स्वामियों और/या अध्यासियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

(16) "कम्पोस्ट खाद निर्माण से तात्पर्य" ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया से है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का जैविकीय अपघटन एरोबिक/एनएरोबिक अन्तर्ग्रस्त है। इसके अन्तर्गत कृमिक खाद निर्माण भी है, जो जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट को वानस्पतिक खाद में परिवर्तित करने हेतु केंचुओं के प्रयोग की एक प्रक्रिया है।

(17) "निर्माण व ध्वस्तीकरण सम्बन्धी अपशिष्ट" से तात्पर्य निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और ध्वस्तीकरण सक्रिया से निकलने वाली भवन सामग्री, मलबा और रोडी से उत्पन्न अपशिष्ट से है।

(18) "अपशिष्ट छंटाई केन्द्र" से तात्पर्य किसी ऐसी अभिहित भूमि शेड छतरी, या दाने से है जो किसी नगर निकाय की या सरकारी भूमि पर या अपशिष्ट को प्राप्त करने या उसकी छंटाई करने के लिये प्राधिकृत किसी सार्वजनिक जगह पर स्थित हो।

(19) "अपशिष्ट उत्पादक" से तात्पर्य नगर निकाय की सीमा में नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था से है।

(20) "निष्क्रिय ठोस अपशिष्ट से तात्पर्य" किसी ठोस अपशिष्ट या प्रसंस्करण के अवशेष से है, जिसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म उसे सफाई सम्बन्धी गड्ढे के लिये उपयुक्त बनाते हैं।

(21) "कूड़ा कचरा से तात्पर्य" किसी प्रकार का ठोस या तरल घरेलू या वाणिज्यिक कचरा, मलबा या कूड़ा या किसी प्रकार का शीशा धातु आदि के टुकड़े कागज कपड़ा ,लकड़ी खाना, वाहन के परित्यक्त भाग, फर्नीचर या फर्नीचर के भाग, निर्माण से ध्वस्त सामग्री, उद्यान अपशिष्ट, कतरन, ठोस बालू या पत्थर और किसी सार्वजनिक स्थान पर जमा की गयी कोई अन्य सामग्री पदार्थ या वस्तु से है।

(22) "संग्रहण" से तात्पर्य कूड़े कचरे को ऐसे स्थान पर रखने से है जहां पर वह गिराया या उतारा जाता है अथवा वह कर आता है, रिसता या अन्य प्रकार से वह कर आता है या किसी सार्वजनिक स्थान या उस पर उसके गिराने, उतारने, वह कर आने, रिसने या किसी प्रकार से आने की सभावना हो।

(23) "स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह" स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह से तात्पर्य आवासीय या वाणिज्यिक परिसरों के स्वामियों या अध्यासियों के किसी समूह या किसी विशिष्ट पड़ोस के ऐसे स्वामियों या अध्यासियों की समितियों या संगठनो से है जो नगर निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्ड के आधार पर परिभाषित किये गये

Scanned by CamScanner

हों जो उस क्षेत्र में सफाई बनाए रखने और अपशिष्ट में कमी करने, पृथक्करण और पुर्नचक्रण के लिये उत्तरदायित्व लेने के लिये आगे आये हों। प्रतिबन्ध यह है कि व सहकारी समितियों के निबन्धक द्वारा पंजीकृत हो और उनके उद्देश्य और प्रयोजन के अन्तर्गत सफाई बनाये रखना और अपशिष्ट के पृथक्करण और पुर्नचक्रण भी सम्मिलित हों और उसे नगर निकाय द्वारा स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह के रूप में अनुमोदित किया गया हो।

(24) "मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेण्डर)" से तात्पर्य किसी गली, लेन पार्श्व-पथ पैदल पथ, खड़न्जा, सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर या प्राइवेट क्षेत्र, अस्थायी रूप से निर्मित संरचना या स्थान से स्थान घूम कर साधारण जनता को दैनिक उपयोग के वस्तु, माल, खाद्य सामग्री या वाणिज्यिक वस्तु के विक्रय करने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानान्तरित करने में लगे व्यक्ति से है जिसके अन्तर्गत फेरीवाला आदि सम्मिलित है।

(25) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत नगर निकाय में उत्पादित ऐसा वाणिज्यिक आवासीय और अन्य अपशिष्ट भी है, जो ठोस या अर्द्धठोस रूप में हो।

(26) "गैर सरकारी संगठन या स्वयंसेवी संगठन" से तात्पर्य नगर के ऐसे गैर सरकारी संगठन से है, जो नगर में सिविल सोसाइटी संगठन और गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधित्व निकाय है, सुसंगत अधिनियमों के तहत पंजीकृत हो।

(27) "अध्यासी" से तात्पर्य है कि जो किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या किसी भवन या उसके भाग का अध्यासी है या अन्यथा रूप से उपयोग कर रहा है।

(28) "स्वामी से तात्पर्य" ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भवन भूमि या उसके भाग के स्वामी के अधिकार का प्रयोग कर रहा है।

(29) "प्रसंस्करण" से तात्पर्य ऐसी किसी वैज्ञानिक प्रसंस्करण से है जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण या भू-भरण स्थल हेतु उपयुक्त बनाने के प्रयोजन के लिये प्रसंस्करण हेतु अभिक्रियित किया गया है।

(30) "पुनर्चक्रण" से तात्पर्य नये उत्पादों को उत्पादित करने हेतु पृथक्कृत गैर जैव विकृत ठोस अपशिष्ट को ऐसी कच्ची सामग्री में परिवर्तित करने की प्रक्रिया से है जो मूल उत्पादों के समान हो सकती है या नहीं हो सकती है।

(31) "कचरा निस्तारण प्रभार से तात्पर्य" नगर निकाय द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रह परिवहन और निस्तारण के लिये अधिसूचित शुल्क या प्रभार से है। इसमें विभिन्न प्रकार के लाईसेन्सी के लिये यथा प्रयोज्य व्यापार कचरा प्रभार सम्मिलित हैं।

(32) "प्रयोज्य शुल्क" से तात्पर्य उस कार्य के सन्दर्भ में निर्धारित यूजर चार्ज से है।

(33) "पृथक्करण" से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट को विनिर्दिष्ट समूह के जैव नाशित परिसंकटमय जैव चिकित्सीय निर्माण और ध्वंश सामूहिक उद्यान और बागवानी एवं समस्त अन्य अपशिष्ट को पृथक् करने से है।

(34) "छटाई" करना से तात्पर्य मिश्रित अपशिष्ट से पुर्नचक्रण योग्य विभिन्न संघटकों और प्रवर्गों जैसे कागज, प्लास्टिक, गत्ता, धातु काँच आदि को समुचित पुनः चक्रण सुविधा में पृथक् करना सम्मिलित है।

(35) "भण्डारण" से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट के उस रीति से अस्थायी संग्रहण से है जिससे कि कूड़ा करकट के विखराव रोगवाहकों के आकर्षण, आवारा पशुओं और अतिशय दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(36) "परिवहन" से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट की एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से है।

(37) "विहित प्राधिकारी" में नगर आयुक्त से सफाई कर्मचारी तक समस्त अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित माने जायेंगे।

इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित है जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो।

इस उपविधि के अन्तर्गत उपरोक्त दी गयी परिभाषा से सम्बन्धित दायित्वों/कर्तव्यों/कार्यों का विवरण, प्रतिषेध, शास्ति एवं प्रशमन आदि का विवरण निम्नवत् है–

अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के सामान्य कर्त्तव्य–प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता–

(क) उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को पृथक्कृत और तीन पृथक् शाखाओं अर्थात बायोडिग्रेडिबुल (गीला कूड़ा), नान बायोडिग्रेबुल (सूखा कचरा) और घरेलू हजार्डस अपशिष्ट के तीन अलग-अलग रंग के डिब्बों क्रमशः हरा-नीला में भण्डारित करेगा और समय-समय पर नगर निगम द्वारा निर्गत निर्देश या अधिसूचना के अनुसार पृथक् किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।

(ख) प्रयोग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों और स्वास्थ्यकर पैडों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध करायी गई थैली में या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा निर्देशित उपयुक्त लपेटन (रैपर) सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या नान-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु बनाये गये डिब्बे में उसे डालेगा।

(ग) अपने परिसर में उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक् रूप से भण्डारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार इसका निपटान करेगा।

(2) कोई अपशिष्ट उत्पादक उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली/नालों या जलाशयों में न फेंकेगा न जलायेगा और न ही गाड़ेगा।

(3)सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपयोक्ता शुल्क का भुगतान करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये नगर निगम की उपविधि में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(4)कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कार्यक्रम की तिथि से कम से कम तीन कार्य-दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किये बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को नगर निगम द्वारा अभिहित चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा तथा इस सन्दर्भ में दी गयी अनुमति की सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(5) प्रत्येक मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेन्डर) अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों नारियल के छिलकों शेष बचे भोजन सब्जियों, फलों आदि के लिये उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को नगर निगम द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रह पात्रों में डालेगा।

(6) 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान नगर निगम की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर ही पृथक् करना, पृथक् किये

Scanned by CamScanner

गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों मे संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। बायोडिग्रेबल अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रो मे संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। बॉयोडिग्रेबल अपशिष्ट का जहां तक संभव होगा परिसर में अन्दर संसाधित, उपचारित और कम्पोस्टिंग करके अथवा बायोमीथेनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर निगम द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

(7) सभी वृहद अपशिष्ट सृजक नगर निगम की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक् करने, पृथक् किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों मे संग्रहण करने और पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वाले अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। बृहद अपशिष्ट सृजक द्वारा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का, परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कम्पोस्टिंग करके अथवा बायो मिथेनाइजेशन के जरिये निपटान अनिवार्य रूप से किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर निगम द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

प्रतिषेध–(1) कोई व्यक्ति स्वयं या दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी साधन से जानबूझकर या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान, निजी या सार्वजनिक जल निकासी कार्यो से सम्बद्ध नाली गड्ढा सम्वाहन पाईप और फिटिंगो मे कोई कूड़ा मे कोई कूड़ा कचरा, या अपशिष्ट नही फेंकेगा या फेंकवायेगा जिससे निम्नलिखित की सम्भावना हो-

[1] जल निकास और मल नालियों को क्षति पहुंचने की,

[2] नाली एवं मल पदार्थ के निर्बाध प्रवाह या उसके उपचार और व्ययन में बाधा पड़ने की,

[3] खतरनाक होने या जनस्वास्थ्य के लिये हानिकारक होने की,

(2) कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित लोक सुविधाओं के सिवाय प्रसुविधाओं के किसी सार्वजनिक स्थल पर स्नान नहीं करेगा न ही थूकेगा न पेशाब करेगा न ही उसे विकृत करेगा न पशुओं, वाहनों बर्तनों या किसी अन्य वस्तु का प्रक्षालन करेगा।

(3) कोई व्यक्ति स्वामी या अधिभोगी स्वामित्व प्राप्त या अध्यासित किसी परिसर के सामने या उससे संलग्न किसी सार्वजनिक स्थल को किसी प्रकार के अपशिष्ट चाहे वह द्रव्य, अर्द्धठोस या ठोस पदार्थ हो जिसमें मल प्रवाह और अपशिष्ट जल भी सम्मिलित है से गन्दा नहीं करेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति खुले में शौच/पेशाब न तो स्वयं करेगा और न ही अपने पालक से करायेगा।

(5) पालतु पशुओं के स्वामी किसी भी दशा मे उन्हें खुला नही छोड़ेंगे क्योंकि इससे मार्गो/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी आवागमन में अवरोध एवं दुर्घटनाएँ होने की सम्भावना बनी रहती है।

(6) कोई भी व्यक्ति घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाइडर नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डो अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गन्दगी नहीं करेगा।

(7) कोई भी व्यक्ति प्रतिबन्धित प्लास्टिक एवं थर्माकोल आइटम्स का उत्पादन वितरण, भण्डारण एवं विक्रय नहीं करेगा।

(8) कोई भी व्यक्ति सड़क, मार्ग या अनाधिकृत स्थल पर जानवरों का गोबर, लीद, पशौनी या अन्य इसी प्रकार के पदार्थ न तो डालेगा और न डलवायेगा।

(9) कोई भी व्यक्ति जानवरो का पालक/स्वामी ड्रेनेज/सीवरेज़ सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी नहीं करेगा।

(10) कोई भी व्यक्ति या उसका पालक किसी सार्वजनिक स्थल, सड़क पार्क आदि में अपशिष्ट नहीं डालेगा। इन स्थानों की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालकर गन्दगी करने पर अथवा सफाईकर्मी द्वारा घर-घर से अपशिष्ट एकत्रित करने के बाद किसी व्यक्ति द्वारा गली या सड़क पर कूड़ा डालते हुये पाया जाता है तो अपशिट को स्थल से हटाकर निस्तारण स्थल तक ले जाने के का व्यय सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता से वसूल किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण–(1) घरेलू अपशिष्ट का घर-घर संग्रहण–

[क] प्रत्येक सफाईकर्मी को कन्टेनर युक्त ठ्यठेला तथा एक घण्टी या सीटी उपलब्ध करायी जायेगी। प्रत्येक कर्मी का सफाई बीट में सफाई तथा चिन्हित की गयी संख्या मे भवनों के अपशिष्ट संग्रहण का दायित्व सौंपा जायेगा।सफाई कर्मी घण्टी या सीटी बजाकर सफाई तथा घरों से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य यथा-निर्धारित समयावधि में एवं यथानिर्धारित स्वरूप में करेगा। सफाई कर्मी सड़क/गली की सफाई से संग्रहित पेड़ो के पत्तों एवं कूड़े को जलायेगा नही और उसे नगर निगम द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहणकर्ता को सौंपेगा।

[ख] नगर निकाय वैकल्पिक रूप में घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण के लिए कन्टेनरयुक्त वाहन/ मोटरवाहन की व्यवस्था कर सकेगा। वाहन चालक, घर या बीट में हार्न बजाकर अपने आने की सूचना देगा, स्वामी या अध्यासी अपने घरेलू या अपशिष्ट को सीधे कन्टेनर में डालेंगे।

[ग] किसी कारणवश उप नियम (क) अथवा (ख) में अंकित व्यवस्था सम्भव न होने पर स्वयं सेवी संगठनों, अभिकरणों अथवा ठेकेदारों द्वारा प्रतिदिन घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य कराया जा सकेगा।

[घ] भवन स्वामी या अध्यासी से प्रयोक्ता शुल्क भी वसूला जा सकेगा।

(2) होटल अपशिष्ट का संग्रहण–

होटल या रेस्टोरेन्ट द्वारा अपशिष्ट संग्रहण के लिए स्वयं की व्यवस्था की जायेगी। नगर निकाय द्वारा यह व्यवस्था सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकती।

(3) शादी घरों, कल्याण मण्डपों एवं सामुदायिक केन्द्रों के अपशिष्ट का संग्रहण–

शादी घरों, कल्याण मण्डपों, सामुदायिक केन्द्रो से प्रतिदिन अपशिष्ट संग्रहण के लिए नगर निकायों द्वारा सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी। यह व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा अथवा अभिकरण/अभिकर्ताओं द्वारा भी करायी जा सकेगी।

(4) वधशाला अपशिष्ट तथा मृत पशुओं की अस्थियों का निस्तारण–

वैज्ञानिक रीति से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी। इस अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में सम्मिलित नही किया जायेगा।

(5) औद्योगिक अपशिष्ट का संग्रहण परिवहन और निस्तारण औद्योगिक संस्थानों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(6) अनुपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (जैसा अनुसूची-3 मे सूचीबद्ध है) का विनिर्दिष्ट प्रकार के आच्छादित पात्रों में भण्डारित किया जायेगा और अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा जिसकी व्यवस्था साप्ताहिक समयान्तर से नगर निकाय द्वारा या किसी अभिकरण द्वारा की जायेगी या ऐसे अपशिष्ट के संग्रह के लिए अभिहित केन्द्र को ऐसी रीति से निस्तारण करने के लिये सौंपा जायेगा जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और व्यवस्था) नियमावली 2016 के अनुसार आदेशित हो।

(7) निर्माण और ध्वस्तीकरण सम्बन्धी अपशिष्ट के भण्डारण और निस्तारण के सम्बन्ध में लघु सृजको (घरेलू स्तर) के लिए यह उत्तरदायित्व पूर्ण होगा कि वह प्रारम्भिक अवस्था में भी पृथक-पृथक किये गये निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का भण्डारण करेंगे एवं नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर उसका परिवहन कर डालेगा, अन्यथा की स्थिति में उत्पादक, नगर निकाय या उसके अधिकर्ता से सम्पर्क स्थापित करेंगे जो उत्पादक से पृथक-पृथक किये गये निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को उठाने के लिये वाहन उपलब्ध करायेगा जिसका एक विनिर्दिष्ट प्रभार होगा। तदुपरान्त इस अपशिष्ट को प्रसंस्करण केन्द्र को भेज दिया जायेगा।

Scanned by CamScanner

(8) सभी जैव अनाशित (नॉन बॉयोडिग्रडेबुल) अपशिष्ट पुनः प्रयोग करने योग्य और पुनः प्रयोग न करने योग्य अपशिष्ट का भण्डारण अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा पृथक्-पृथक् किया जायेगा और उसे निर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा जिसकी व्यवस्था नगर निकाय या उसके अभिकर्ताओं द्वारा ऐसे स्थानों और ऐसे समय पर की जायेगी जैसा कि ऐसे अपशिष्ट को संग्रह करने के लिये समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा या नगर निकाय या सरकारी या निजी भूमि पर स्थापित लाईसेन्स प्राप्त ऐसे अपशिष्ट के छटान केन्द्रों को किया जायेगा।

वेस्ट पिकर्स—वेस्ट पिकर्स (कूड़ा बिनने वालों का) का सर्वेक्षण कर उनका व उनसे सबंधित सहकारी संस्थाओं को चिन्हित किया जायेगा तथा प्रत्येक वेस्ट पिकर को पहचान-पत्र दिया जायेगा। उन्हे अपने कार्य का प्रशिक्षण देते हुए उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित कर पहचान-पत्र मे अंकित किया जायेगा तथा उन्हे घर-घर से रिसाईक्लेबल अपशिष्ट संग्रह करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

वेस्ट पिकर्स वाली सहकारी संस्थाओ, लाइसेन्स प्राप्त पुनः प्रयोगकर्ताओ या कबाडियों को, अपशिष्ट संग्रह सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये नगर निकाय के लाईसेन्स प्राप्त अभिकर्ताओं के साथ ऐसे अपशिष्ट छटान केन्द्रों के संचालन के लिये नियुक्त किया जा सकता है। पुनः प्रयोग करने योग्य अपशिष्ट के प्रकार की विस्तृत सूची अनुसूची दो मे दी गई है।

(9) उद्यान और बागवानी अपशिष्ट की प्रारंभिक अवस्था मे ही कम्पोस्ट खाद बनायी जायेगी। जहां स्थल पर ही कम्पोस्ट खाद बनायी जायेगी। जहां स्थल पर ही कम्पोस्ट खाद बनाना संभव न हो नगर निकाय अधिसूचित उचित फीस लेकर पृथक्-पृथक् किये गये उद्यान और बागवानी अपशिष्ट का संग्रह और परिवहन जारी रखेगा।

(10) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित अपशिष्ट को हाथठेला गाडियों से सामुदायिक अपशिष्ट संग्रह स्थल पर डाला जायेगा।

(11) किसी प्रकार के अपशिष्ट को जलाया नही जायेगा।

(12) नाले एवं नालियों के सफाई से निकली हुई सिल्ट के संग्रह एवं परिवहन तथा निपटान हेतु अलग से व्यवस्था की जायेगी।

नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण–(1) प्रत्येक व्यक्ति, स्वामी या अध्यासी या अपशिष्ट उत्पादक नगरीय ठोस अपशिष्ट को अपशिष्ट उत्पादन स्रोत के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में पृथक् करेगा-

[1] जैव नाशित (बायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट (गीला कूड़ा)

[2] जैव अनाशित (नानबायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट (सूखा कूड़ा)

[3] जैव चिकित्सीय (बॉयोमेडिकल) अपशिष्ट

[4] घरेलू परिसंकटमय (हजार्ड्स) अपशिष्ट

(2) पृथक्करण के लिए नगर निकाय द्वारा जनजागरण एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जायेगा। इस हेतु जन कल्याण समितियो, गैर सरकारी संगठनो, कक्षा समितियो तथा नागरिक समूहो को सम्मिलित किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण–(1) नगर निकाय नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण के सुविधाओं की स्थापना और अनुरक्षण इस नीति से करेगा कि आस-पास अस्वास्थ्यकर स्थिति न उत्पन्न हो।

(2) भण्डारण सुविधा सुगम स्थल पर होगी।

(3) भण्डारण सुविधा इस प्रकार की हो कि वहॉ किसी प्रकार की अप्रदूषण तथ गन्दगी न फैले।

(4) नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण व हथालन सुगमतापूर्वक हो सके, अतः यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाना श्रेयस्कर होगा।

(5) जहां किसी सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र चाहे वह खुले स्थान में हो या बन्द शेड में जो किसी परिसर में हो या सार्वजनिक स्थान पर स्थित हो, से नगर निकाय वाहनों द्वारा सीधे ही नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रह किया जाता हो वहां ठोस को पृथक्-पृथक् किये गये अपशिष्ट के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्था किये गये अनुसार जमा किया जायेगा।

सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र–अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का निस्तारण इस हेतु उपबंधित वाहनों तथा अपशिष्ट भण्डार केन्द्रो मे किया जायेगा जहा से नगर निकायों द्वारा संग्रह वाहन ऐसे अपशिष्ट का प्रतिदिन ऐसे समय पर संग्रहित करेगा जैसा नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी समय-समय पर अधिसूचित करे।

ढांचागत सुविधाओं की व्यवस्था–नगर निकाय इस नियमावली के प्रावधानो के अनुपालन में नागरिकों की सहायता करने के लिये पर्याप्त ढांचागत सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। अपशिष्ट संग्रह सेवाओ के अतिरिक्त कूड़ा फेंकने के लिये डस्टबिन, सामुदायिक भण्डारण केन्द्र अपशिष्ट छॅटान केन्द्र और कम्पोस्ट खाद बनाने के केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जहां कहीं सम्भव और आवश्यक हो यह कार्य स्थानीय नागरिको के परामर्श और सहभागिता से किया जायेगा। मलिन बस्तियों मे सामुदायिक शौचालयो और प्रक्षालन सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा मे व्यवस्था की जायेगी, जिसमे संगठनों या स्थानीय क्षेत्र के नागरिक समूहों पर आधारित स्थानीय समुदायों की भागीदारी होगी।

किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, मार्केट कॉम्पलेक्स की निर्माण योजना के अनुमोदन से पूर्व भवन योजना में पृथक् किए गये अपशिष्ट के संग्रहण पृथक्करण और भण्डारण के लिये अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित किए जाने का प्राविधान सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

दिन प्रतिदिन के आधार पर बाजारो से सब्जियों, फलों, फूलों, मांस कुक्कुट पालन और मछली बाजार से अपशिष्ट संग्रह करना और इस हेतु स्वास्थ्यकर स्थिति सुनिश्चित करते हुए उचित स्थानो पर विकेन्द्रिकृत कम्पोस्टिंग प्लांट या जैव मीथेनीकरण प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

सुविधा और सहायता उपलब्ध करना–नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी कम्पोस्ट खाद बनाने वाले विशेषज्ञों लाईसेंस प्राप्त कबाडियों पुनः प्रयोग करने वाले व्यापारियों, कूड़ेदान विनिर्माताओं, पुनः प्रयोग करने मे सिद्धहस्त अभिकरणों की सूची बनायेगा और उसे प्रकाशित करेगा जिससे कि अपशिष्ट को पुनः प्रयोग करने योग्य बनाने मे नागरिकों को सुविधा और सहायता मिल सकें। कर्मचारियों और पंजीकृत व्यक्तियों और संगठनों के नाम और टेलीफोन नंबर नगर निकाय से सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध कराये जायेगे। ये संगठन इस प्रक्रियाओं के सम्बन्ध मे प्रशिक्षण दिशा निर्देश और सहायता प्रदान कर सकते है। स्वयं सेवी संस्थाओं और क्षेत्रीय नागरिकों समूहो के माध्यम से इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न की जायेगी।

कूड़ा कचरा निस्तारण प्रभार का लगाया जाना–नगर निकाय होटलों रेस्टोरेन्ट और अपशिष्ट के अन्य सृजकों पर कूड़ा कचरा निस्तारण प्रभार लगायेगा। अपशिष्ट प्रभार का निर्धारण नगर आयुक्त द्वारा अपशिष्ट की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुये आनुपातिक सिद्धान्त के आधार पर किया जायेगा।

कम्पोस्ट खाद को बनाया जाना–अपशिष्ट के सृजकों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे अपने जीवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेबल) से कम्पोस्ट खाद बनाये और उसे अपने बगीचों और अपने निजी परिसरों मे लगाये गये पेड़ों और आस-पास के पेड़ो मे डाले। इस कार्य से बची हुई कम्पोस्ट खाद को नगर निकाय निर्दिष्ट निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण–(1) जहां कहीं सम्भव हो नगर निकाय सार्वजनिक पार्कों, क्रीडा स्थल, मनोरंजन स्थल, उद्यानो अधिक मात्रा मे खाली भूमि चाहे वह नगर निकाय या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण

Scanned by CamScanner

या सरकारी विभाग के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा अनारक्षित हो पर लघु प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना तथा गैर सरकारी संगठनों अभिकर्ताओं व्यवस्था अधिकारियों, ठेकेदारों, किरायेदारों द्वारा भी की जा सकती है। ये स्थानीय समुदाय के लिये नमूनों का प्रदर्शन करेंगी और इस प्रकार से कार्य करेंगी जिससे समाज या पर्यावरण को कोई असुविधा या हानि न हो।

(2) नगर निकाय नदियों/झीलों/तालाबों पूजा-स्थलों आदि के पास कतिपय निर्दिष्ट स्थलों से पूजा सामग्रियों (फूल, पत्ती, फल) को विशेष पात्रों या कलशों में एकत्रित करते हुये या तो स्वयं दायित्व लेगा या इच्छुक संगठनों को प्राधिकृत करेगा। इन कलशों या पात्रों से एकत्रित की गयी सामग्री को उपयुक्त स्थान पर गाडा जायेगा या कम्पोस्टिंग इकाइयों द्वारा विशेष रूप से व्यवस्था की जायेगी।

(3) अपशिष्ट के परिवहन लागत को कम करने और अपशिष्ट के स्थानीय प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के वृहत्तर लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से सम्बन्धित अधिकारी से नोटिस प्राप्त करने वाले अपशिष्ट से किसी उत्पादक के लिये यह अपेक्षित होगा कि वह यथाविनिर्दिष्ट उपयुक्त नोटिस की अवधि के पश्चात् उद्गम स्थल पर या नोटिस में इस प्रयोजनार्थ अभिहित स्थलों पर जैवनाशित अपशिष्ट को प्रसंस्कृत करे।

(4) नगर निकाय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिये यथा-आवश्यक एक से अधिक भूमि भरण स्थलों का चिन्हिकरण विकास और अनुरक्षण करेगी और उसमें ऐसे निष्क्रिय ठोस अपशिष्टों को जो पुनर्चक्रण अथवा प्रसंस्करण के लिये समुचित न हो डाला जायेगा।

(5) पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्टों में पुनर्चक्रण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(6) वह अपशिष्ट जो अनुपयोगी हो, पुनर्चक्रण के योग्य न हो, नॉन बायोडिग्रेडेबुल न हो, ज्वलनशील न हो तथा नॉन रीएक्टिव व इनर्ट को तथा जो अवशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा से छाट कर निकाला गया हो को सैनिटरी लैण्डफिल साइट पर निस्तारित किया जायेगा।

(7) छटे हुए अपशिष्ट को यथा सम्भव रीसाईकिल व रीयुज करने हेतु प्रयास किया जायेगा ताकि जीरो-वेस्ट के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

(8) खुली हुई डम्प साइट्स की बायो-माइनिंग व बायो-रेमिडियेशन की व्यवस्था की जायेगी। उपयुक्त न होने पर अथवा अन्यथा की स्थिति में इनकी मानक के अनुसार कैंपिंग की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जायेगी ताकि पर्यावरण प्रदूषित न हो।

(9) घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केन्द्र की स्थापना, जिसको 20 किलो मीटर के क्षेत्रफल के घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए बनाया जायेगा। इन केन्द्रों में घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट जमा करने का समय नगर आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(10) घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट के सुरक्षित भण्डारण एवं परिवहन के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन–नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई प्राधिकारी किसी सार्वजनिक या निजी स्थल पर अपशिष्ट एकत्रीकरण का विन्दु चिन्हित करायेगा। जहाँ नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली गाडी को दिये जाने के लिये एकत्रित अपशिष्ट को लाया जायेगा। कूड़ा गाडी की सेवायें नगर निकाय द्वारा मार्ग (रूट) योजना के अनुसार एकत्रित कूडे को एकत्रित करने के लिये उपलब्ध करायी जायेंगी। अपशिष्ट के परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहन में रखा गया कूड़ा ढका रहेगा।

स्रोत पर ही एकत्रीकरण–भवन स्वामियों या अध्यासियों द्वारा भवनों या भवन समूहों के परिसर के भीतर उपलब्ध कूड़ा स्रोत स्थान से एकत्रीकरण की व्यवस्था की जा सकेगी और नगर निकाय की गाडियों/कर्मचारियों द्वारा उस कूड़ा पात्रों तक ऐसे समय तक पहुंचायी जायेगी जैसा अधिसूचित किया जाय।

सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण–अपवादिक मामलों में जहां स्थान-स्थान पर एकत्रीकरण या स्रोत पर ही एकत्रीकरण सम्भव न हो, वहा नगर निकाय द्वारा सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र को सार्वजनिक सडकों पर या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जहा आवश्यक और संभव हो, रख रखाव किया जायेगा जैसा कि नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय।

अपशिष्ट छटाई केन्द्र–पुनर्चक्रीय और अपुनर्चक्रीय अपशिष्ट की छटाई कार्य को विनियमित करने तथा सुविधापूर्ण बनाने के लिये संबंधित अधिकारी उतने अपशिष्ट छंटाई केन्द्रों की व्यवस्था करेगा जो आवश्यक और संभव हो।

ये अपशिष्ट छटाई केन्द्र नगर निकाय की भूमि पर या सरकारी अथवा अन्य निकायों की भूमि पर हो सकते हैं जो इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से शेड या गुमटी के रूप में उपयुक्त सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराये जायेंगे। इनकी व्यवस्था कूड़ा बिनने वालों की रजिस्टर्ड सहकारी समितियाँ या अनुज्ञा प्राप्त रीसाईक्लर्स या नगर निकाय द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत अन्य अभिकरणों द्वारा भी की जायेगी।

जैव अपघटन योग्य अपशिष्ट के भण्डारण के लिये "हरे रंग" के डिब्बे पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट के लिए "नीले रंग" का डिब्बे का उपयोग किया जायेगा।

छटाई के बाद अवशेष अपुनर्चक्रीय कूडे को प्रसंस्करण या भूमि भराव के लिए ऐसे छटाई केन्द्रों से कूड़ा निस्तारण स्थलों पर भेजा जायेगा। ऐसे अपशिष्ट छटाई केन्द्रों पर विभिन्न प्रकार के कूडे को अधिसूचित दरों पर क्रय एवं विक्रय का कार्य नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

समय सारिणी तथा एकत्रीकरण का मार्ग–नगरीय ठोस अपशिष्ट के दैनिक तथा साप्ताहिक एकत्रीकरण की समय सारिणी एवं मार्ग का निर्धारण सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं अधिसूचित किया जायेगा। इनका विवरण सम्बन्धित कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेगा।

स्थानीय नागरिक समूह–स्वय सहायता समूह के गठन को सुगम बनाना उन्हे पहचान कार्ड उपलब्ध कराना और तदपरान्त घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रह करते सहित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में एकीकरण को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

स्वैच्छिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनो अथवा स्थानीय नागरिक समूहों का विनिर्दिष्ट प्रशासनिक प्रभार इकट्ठा करने हेतु अनुबन्ध को आधार पर नगर निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा, जिससे वे अपने क्षेत्र को साफ रख सके। सड़कों की सफाई कूडे के एकत्रीकरण, परिवहन, कम्पोस्टिंग आदि के लिये निर्धारित इकाई दर पर नगर निकाय या स्वामियों या अध्यासियों से भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। पंजीकरण प्रक्रिया माडल उपविधियों तथा स्थानीय नागरिक समूहों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा गैर सरकारी संगठनों हेतु माडल अनुबन्ध का प्रारूप नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन पर उपलब्ध करायी जायेगी।

सफाई अभियान–उन क्षेत्रों में जिनको विशेष सफाई अभियान के लिये आवश्यक समझ कर चिन्हित किया जाय और जहाँ स्थानीय पार्षद या सदस्य या नागरिक सहयोग के लिये आगे आते हो सफाई अभियान का आयोजन किया जायेगा। ऐसे विशेष अभियानों के लिये अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।

जागरूकता शिक्षा और प्रशिक्षण–नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं स्थानीय निकायों समूहों, नगर निकायकर्मी और उसके अभिकर्ता नगर के स्कूल, आवासीय समितियों गन्दी बस्तियों दुकानों, फेरी वालो, अपशिष्ट चुनने वालों/संग्रहकर्ता को कार्यालय सकुलो, औद्योगिक इकाईयो वाणिज्यिक यूनियनों, सकल एरिया सिटिजन ग्रुप आदि से सफाई के सम्बन्ध में शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाया जायेगा। उसके पश्चात् इन सबकी शिक्षा, जागरूकता, सहभागिता एवं प्रशिक्षण के लिये एक समन्वित योजना

45

Scanned by CamScanner

एवं रणनीति तैयार कर उसे कार्यान्वित की जायेगी। इसमें नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये जनसहभागिता की प्रोत्साहन–जन सहभागिता और सहयोग से किये गये सफाई कार्य और अपशिष्ट प्रबन्धन के सर्वोत्तम कार्यों के लिये नगर निकाय द्वारा प्रशस्ति-पत्र और पुरस्कार प्रदान किया जायेगा तथा प्रचारित किया जायेगा। इसकी सूचना और विवरण वाराणसी नगर निगम के कार्यालयों तथा नगर निगम की वेबसाईट WWW.JNNJHANSI.COM पर उपलब्ध रहेगें।

शिकायतों का निस्तारण–नगर निकाय इस नियमावली के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु कम्प्लेण्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम का संचालित करेगा या एक समुचित नया ऑनलाईन कम्पलेण्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम तैयार करेगा। शिकायतों और कृत कार्यवाही की रिपोर्ट के आकड़े ऑनलाईन ग्रिवान्स मैनेजमेण्ट सिस्टम (ओ.जी.एम.एस.)/सिटिजन्स पोर्टल में प्रदर्शित की जायेगी।

नागरिकों की सफाई टीम–नगर आयुक्त नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता एवं सफाई कार्यों में विशेष रूचि एवं सहयोग प्रदान करने वाले नागरिकों को स्वच्छताग्राही नामितकर सकता है।

सम्बन्धित नागरिक नगर के प्रत्येक वार्ड में सफाई टीम का भी गठन कर सकते है तथा सर्वेक्षण करके सफाई के अनुश्रवण हेतु नियमित रिपोर्ट उपलब्ध करा सकते है। इन रिपोर्टो का नगर निकाय कार्मिकों को अग्रसारित किया जायेगा और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया जायेगा ताकि इसके माध्यम से उस क्षेत्र की सफाई और अनुश्रवण सुनिश्चित हो सके।इसमें नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

रूचि की अभिव्यक्ति–किसी क्षेत्र को साफ रखने या कूड़े के पृथक्करण, पुनरावर्तन या कूड़े के प्रसंस्करण की सुविधाओं की स्थापना, कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, बॉयो-मिथेनीकरण आदि की नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जायेगी। रूचि की अभिव्यक्ति के ऐसे सभी आमंत्रण के विवरण सभी वार्ड कार्यालयों में तथा वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और मूल्यांकन नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

आकस्मिक निरीक्षण–अनुपालन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नगर निकाय की म्युनिसिपल सीमाओं में सम्बन्धित अधिकारी अपने-अपने वार्डो के विभिन्न भागों में किसी भी समय (दिन या रात) आकस्मिक जाँच करेंगे। किसी उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान पाये जाने वाले कूड़े-कचरे की सफाई नगर निकाय द्वारा की जायेगी और उसमें अन्तर्ग्रस्त व्यय उल्लंघन से वसूला जा सकेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में दायित्व–(1) मलिन बस्तियों की सफाई के सम्बन्ध में दायित्व–

(क) नगर आयुक्त ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जहाँ-जहाँ भी योग्य समुदाय आधारित संगठन आगे आयें, वर्तमान में अनाच्छादित क्षेत्रों में उनके वार्डो के अन्तर्गत दत्तक बस्ती योजना (मलिन बस्ती अपनाने के अन्तर्गत) का विस्तार करेंगे।

(ख) जहां आवश्यक हो नगर निगम की गाड़ी पृथकीकृत ठोस अपशिष्ट का संग्रह करने के लिए मलिन बस्ती के बाहर किसी स्थान पर नियत समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(ग) अपवादिक मामलों में जब तक गाडी की सेवायें तत्समय सार्वजनिक मार्ग या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर किसी चिन्हित बिन्दु पर अपेक्षित अन्तराल पर उपलब्ध नहीं करायी जा सकती हो नगर निगम द्वारा मानव सेवित सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण कूड़ादान की व्यवस्था की जायेगी वहाँ से नगर निगम ऐसे अपशिष्ट का संग्रह करेगी।

(2) **मुर्गी पालन, मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट उत्पादक के दायित्व**–विनिर्दिष्ट बूचड़खानों और बाजारों से भिन्न किसी भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी जो मुर्गी मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट को किसी व्यवसायिक गतिविधि के फलस्वरूप उत्पन्न करता है ढकी हुई, स्वच्छ स्थिति में उसका पृथक भण्डारण करेगा और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराये गये नगर निगम के संग्रह वाहन को विनिर्दिष्ट समय पर दैनिक रूप से पहुंचायेगा। किसी सामुदायिक कूड़ादान में ऐसे अपशिष्ट का जमा करना निषिद्ध है और अर्थदण्ड की अनुसूची में इंगित अर्थदण्ड का भागी होगा।

(3) **ठेले वालों/फेरी वालों के दायित्व**–प्रत्येक ठेले वाला या फेरी वाला सामान बेचने की गतिविधि से उत्पन्न किसी अपशिष्ट के संग्रह के लिये अलग-अलग डिब्बे या कूड़ादान रखेगा। सम्यक् रूप से पृथक किये गये अपशिष्ट को नगर कूड़ा गाड़ी या निकाय सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण कूड़ादान तक पहुंचाने का दायित्व कूड़ा उत्पन्न करने वाले का होगा।

(4) **नाली का सफाई का दायित्व**–घरेलू नाली वाले भू-गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वह घर की नाली में कोई अपशिष्ट नहीं एकत्रित करेगा और नगर निगम द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे स्थान और ऐसे समय पर नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये अपशिष्ट संग्रह वाहन तक ठोस अपशिष्ट को अलग-अलग करके पहुंचाया जाय। ऐसा करने में विफल रहने पर अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

जहा ऐसे भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी घर की नाली की सफाई के लिए नगर निगम की सेवायें प्राप्त करने की इच्छा करता है तो उसे नगर निगम से सम्बन्धित वार्ड कार्यालय में आवेदन करना होगा। नगर निगम द्वारा यथानिर्धारित प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान प्राप्त कर घर की नाली सफाई करायी जा सकेगी।

(5) **सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह आयोजनकर्ता का दायित्व**–सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किसी भी प्रकार के सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह (जिसमें जुलूस प्रदर्शनी सर्कस मेलो या राजनैतिक दलों की रैली, व्यावसायिक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक समारोह विरोध प्रदर्शन धरना- प्रदर्शन इत्यादि शामिल है) के लिए जिसमें पुलिस और/या नगर निगम के अनुमति अपेक्षित है समारोह या सम्मेलन के संयोजक का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों की सफाई सुनिश्चित करे।

नगर निगम द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिदेय स्वच्छता प्रभार प्रयोक्ता आयोजक से समारोह की अवधि के लिए संबंधित कार्यालय में जमा कराया जायेगा। यह प्रभार केवल सार्वजनिक स्थल की सफाई के लिये होगा। इसमें सम्पत्ति की क्षति आच्छादित नही होगी।

(6) **निपटान योग्य उत्पादों तथा स्वास्थ्यकर नैपकीनों और डाइपर के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों के कर्तव्यं**–(1) निपटान योग्य उत्पादों जैसे टिन, कॉच, प्लास्टिक, पैकेजिंग इत्यादि के सभी निर्माता या ऐसे उत्पादों को बाजार में लाने वाले ब्राण्ड स्वामी अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली की स्थापना के लिए स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगें।

(2)गैर नान बायोडिग्रेडबुल पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पादों की बिक्री या विपणन करने वाले ऐसे सभी ब्राण्ड स्वामी उनके उत्पाद के कारण उत्पन्न हुए पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस ग्रहण करने के लिए प्रणाली की व्यवस्था करेगें।

(3) स्वास्थ्य कर नैपकीनों तथा डाइपरों के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों में सभी पुर्नचक्रण योग्य सामग्रियों के प्रयोग की सम्भाव्यता का पता लगायेगें या अपने स्वास्थ्य उत्पादों के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपकीन या डाइपर के निस्तारण के लिए एक पाउच या रैपर उपलब्ध करायेगें।

(4) ऐसे सभी निनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों को लपेटने और उनका निस्तारण करने के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी दी जायेगी।

Scanned by CamScanner

नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति–उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 550 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर निगम निश्चित करती है इस उपविधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना अथवा उल्लंघन के दुष्प्रेरित करना दण्डनीय अपराध होगा। ऐसे व्यक्ति संस्था अथवा अन्य के विरूद्ध नियमानुसार अभियोजन शाि किया जायेगा।

अपराधों का प्रशमन–इस नियमावली के अधीन दण्डनीय कोई अपराध नगर आयुक्त/नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अथवा नगर आयुक्त द्वारा उक्त कार्यों के लिये अनु... संस्थाओं द्वारा शमन शु की ऐसी धनराशि के जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित है वसूल करके प्रशमित किया जा सकता है परन्तु यह होगी कि नगर निगम में बाहरी संस्थाओं द्वारा वसूल की गयी प्रशमन शुल्क की धनराशि का 75 प्रतिशत उसी नगर निगम कोष में जमा करना होगा व उसकी लिखित सूचना व सूची नगर निगम के स्वास्थ्य कार्यालय में प्र करनी होगी शेष 25 प्रतिशत धनराशि संस्थाऐं अपने पास रखेगी और जहां अपराध का इस प्रकार प्रशमन–

(क) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहां अपराधी ऐसे अपराध करने के लि अभियोजन का भागी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में हो तो स्वतन्त्र कर दिया जायेगा।

(ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है वहां प्रशमन से अपराधी दोषमुक्त जायेगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृच्छा पर अपना न व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्त कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था/समूह के साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अ कार्यवाही हेतु सौंप देगा।

अनुसूची–1

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि–2017

प्रशमन शुल्क तालिका

क्र0 सं0	उल्लंघन	प्रशमन शुल्क	प्रत्येक बार पुनः उल्लंघन की दशा में प्रशमन शुल्क	नगर निगम द्वारा अपशिष्ट उत्पादक के दायित्वों का निर्वहन करने की दशा में प्रशासकीय व्यय की धनराशि
1	2	3	4	5
		(रु0 में)		(रु0 में)
1	व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी अनाधिकृत स्थल पर किसी–		प्रशमन शुल्क का दोगुना	
	1–अपशिष्ट फैलाना/फेंकना।	100.00		500.00
	2–थूकना।	100.00		250.00
	3–मूत्र विसर्जन करना।	100.00		250.00
	4–जानवरों को अनिर्दिष्ट स्थान पर खिलाना।	500.00		1,500.00
	5–वाहनों की धुलाई।	500.00		1,500.00
	6–कपड़े धोना।	500.00		1,500.00
	7–सार्वजनिक स्थान नदी, तालाब या कुण्ड में गन्दगी फैलाना।	500.00		1,500.00

1	2	3	4	5
		(रु0 में)		(रु0 में)
2	मार्ग, पार्क, घाटी, आदि सार्वजनिक स्थल की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालने पर।	500.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	1,000.00
3	घाटो, सीढ़ियों सड़कों के डिवाइडर नाम पटो, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डो अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गन्दगी करने/कराने पर।	500.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	1,000.00
4	पालतु पशुओं को खुला छोड़कर मार्गो/खुले सार्वजनिक स्थलो पर उनके मलमूत्र से गंदगी आवागमन में अवरोध पैदा करने/कराने पर।	500.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	1,000.00
5	नाले/नालियो, ड्रेनेज में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी करने पर :–		प्रशमन शुल्क का दोगुना	
	(क) पशु पालक 5 जानवरों तक	1,000.00		5,000.00
	(ख) पशु पालक 5 जानवरो से अधिक व 25 जानवरो तक	5,000.00		10,000.00
	(ग) पशु पालक 25 जानवरो से अधिक	10,000.00		20,000.00
6	डस्टबिन/स्टोरेज कन्टेनर के बार अपशिष्ट फैलाना।	500.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	1,500.00
7	उपकरणों/कपड़ो अन्य किसी सामग्री की अनिर्दिष्ट स्थल पर धुलाई।	500.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	1,500.00
8	किसी परिसर में 24 घण्टे से अधिक की अवधि के लिए कूड़ा करकट को बनाये रखना।	500.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	1,500.00
9	कानून का उल्लघन करते हुये शव का अनियमित निस्तारण	1,000.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	5,000.00
10	अपने परिसर को स्वच्छ रखने में असफल रहना–		प्रशमन शुल्क का दोगुना	
	(क) डबलिंग यूनिट/भवन/फ्लैट	500.00		1,500.00
	(ख) दुकान /वृक्ष	500.00		1,500.00
	(ग) माल/मल्टीप्लेक्स/शॉपिंग आर केड/होटल	2,000.00		5,000.00
	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक/अन्य संस्थान	2,000.00		5,000.00
11	प्रतिबन्धित पॉलीथिन सामग्री का उत्पादन वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।	1,000.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	5,000.00
12	थर्माकोल सामग्री का उत्पादन वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।	1,000.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	5,000.00

11–हि0गा0 4 A.

1	2	3	4	5
		(रु० में)		(रु० में)
13	बिना पृथक्करण किये हुए तथा बिना अलग-अलग निर्धारित बिन में रखे हुए कूड़े को सौंपना–		प्रशमन शुल्क का दोगुना	
	(क) व्यक्तिगत भवन	200.00		500.00
	(ख) दुकान/बुथ	500.00		1,500.00
	(ग) माल/मल्टीप्लैक्स/शॉपिंग/शॉपिंग आर केड/होटल/मैरिज गार्डन	5,000.00		1,5000.00
	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक/अन्य संस्थान	2,000.00		5,000.00
	(ड़) औद्योगिक भूखण्ड/यूनिट	2,000.00		5,000.00
	(च) इवेन्ट आरगेनाईजर्स	2,000.00		5,000.00
14	वृहद अपशिष्ट (100 किलो ग्राम प्रतिदिन से अधिक) उत्तार्जकों द्वारा अपशिष्ट के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण न करना।	5,000.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
15	विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट (हजार्डस वेस्ट) को सार्वजनिक अथवा प्राईवेट स्थल पर डम्प करने पर।	2,000.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
16	बॉयोमेडिकल अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ डम्प करने पर।	5,000.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
17	विनिर्दिष्ट परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट को यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1,000.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
18	जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलेवरी न करने पर।	500.00 (प्रति टन)	प्रशमन शुल्क का दोगुना	5,000.00
19	निर्माण और ढहाने के अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से भण्डारण न करने/अधिकृत एजेन्सी को डिलेवरी न करने पर।	500.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
20	शुष्क अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1,000.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	5,000.00

11-दि०ग०-48

1	2	3	4	5
		(रु० में)		(रु० में)
21	उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छंटाई के कूड़े की यथाविनिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	500.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	2,000.00
22.	अपशिष्ट जलाकर निस्तारण करने पर।	100.00	प्रशमन शुल्क को दोगुना	500.00
23.	खुले में शौच करने पर।	100.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	500.00
24.	पालतू जानवरों के अपशिष्ट को सार्वजनिक गलियों/सड़कों/पार्क में फेंकना।	500.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	2,000.00
25.	घरेलू अपशिष्ट से भिन्न मछली, मुर्गा और अपशिष्ट की यथानिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	500.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	2,000.00
26	बिना डिब्बा/अपशिष्ट टोकरी के ठेलों/फेरी वाले/दुकानदार के लिए।	100.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	500.00
27	पालतू रखे गये पशुओं द्वारा कूड़ा फैलाये जाने के लिये।	500.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	2,000.00
28.	व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अनिधिकृत रूप से पानी बहाने पर।	1,000.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	3,000.00
29	सार्वजनिक सम्मेलन/समारोह के पश्चात् 24 घण्टे के भीतर सफाई न करने के लिए।	5,000.00	प्रशमन शुल्क का दोगुना	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय

नोट–

1–उपरोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जेज के पाँच वर्षों के उपरान्त पुनः निर्धारण का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा। इसके पुनः निर्धारण के उपरान्त पूर्व दरें स्वतः निष्प्रभावी हो जायेंगी।

2–अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी द्वारा प्रतिबन्धित पॉलीथिन/थर्माकोल अथवा अन्य प्रतिबन्धित सामग्री का उत्पादन एवं वितरण उसी स्थान/यूनिट से बार-बार पाये जाने पर उनके द्वारा ऐसी यूनिट को बन्द करने की संस्तुति नगर आयुक्त को दी जायेगी एवं इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नगर आयुक्त द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से ऐसी यूनिट को बन्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा जायेगा।

3–यदि अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी या कोई भी सामान्य नागरिक किसी कर्मचारी को खुले में कूड़ा जलाते हुए पाता है तो वे उसकी रिपोर्ट नगर निगम के अधिकारी को उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

अनुसूची–2

जैवनाशित और पुनर्चक्रीय अपशिष्ट की सूची

जैवनाशित अपशिष्ट

- जैवनाशित अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा करकट या अपशिष्ट सामग्री से है।
- रसोई घर का अपशिष्ट जिसमें चाय की पत्ती, अण्डे के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके शामिल है।

Scanned by CamScanner

- ❖ मॉस और हड्डियाँ
- ❖ उद्यान व पत्तियों का कूड़ा करकट जिसमें फूल भी है।
- ❖ पशुओं का कूड़ा करकट।
- ❖ गोबर।
- ❖ सफाई के बाद घर की गन्दगी।
- ❖ नारियल के छिलके।
- ❖ राख।
- ❖ अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट।

जैवनाशित अपशिष्ट

- ❖ पुनर्चक्रीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे शुष्क अपशिष्ट से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन के लिये कच्ची सामग्री में एक प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित किया जा सके और जो मूल उत्पाद के समान हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।
- ❖ समाचार-पत्र।
- ❖ कागज, पुस्तकें, पत्रिकायें।
- ❖ शीशा।
- ❖ धातु के पदार्थ और तार।
- ❖ प्लास्टिक।
- ❖ फटे कपड़े।
- ❖ चमड़ा।
- ❖ रेक्सीज।
- ❖ रबर।
- ❖ लकड़ी/फर्नीचर।
- ❖ पैकिंग के समान एवं अन्य इसी प्रकार के।

अनुसूची–3

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की सूची

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट–जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बेहोशी के दौरान या उनसे सम्बन्धी शोध कार्यो के दौरान जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।

(1) धारदार अपशिष्ट–सुईयाँ, सिरीज, छुरिया, ब्लेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और उप्रयुक्त धारदार दोनों हैं।

(2) बेकार दवाईयों और साइटोटाक्सिक औषधियों–अवसान तिथि के बाद की दूषित और बेकार दवाईयों के अपशिष्ट

(3) ठोस अपिशष्ट–रक्त और शरीर द्रव से दूषित सामग्री जिनमें रूई, पट्टी, प्लास्टर पट्टी कपड़े की पट्टी विस्तर, चादर और रक्त से दूषित अन्य सामग्री।

प्रताप सिंह भदौरिया,
नगर आयुक्त/प्रशासक,
नगर निगम, झाँसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 नाथ डेवलपर्स, ग्राम तालकन्दला जंगल चौरी, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर, जिला गोरखपुर, उ0प्र0 नामक फर्म पंजीकरण संख्या GOR/0001763 में साझेदारी डीड दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 से श्री दिलीप सहानी पुत्र श्री शिव वरन सहानी, श्री राकेश चौधरी पुत्र श्री जीतीन चौधरी व श्री मानवेन्द्र त्रिपाठी पुत्र श्री पदमनाभ त्रिपाठी साझेदार थे। उक्त फर्म में साझेदार डीड दिनांक 01 फरवरी, 2019 से श्री मानवेन्द्र त्रिपाठी पुत्र श्री पदमनाभ त्रिपाठी, पता 19ए महुई सुघरपुर सिद्धार्थ इन्कलेव, जनपद गोरखपुर, उ0प्र0 जो उक्त फर्म से रिटायर्ड हो गये है। किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

दिलीप सहानी,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एस0एस0 एण्ड ब्रदर्स फर्म 179 वी0एच0एस0, अल्लापुर, प्रयागराज से सावित्री देवी पत्नी सन्तलाल, मनोज कुमार पुत्र सन्त लाल, राहजानन्द सिंह पुत्र यदुनन्दन सिंह, दिनांक 03 जून, 2019 अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो रहे हैं अब इस फर्म से इनका कोई दायित्व व लेना-देना नहीं है। इन लोगों द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का कार्य मान्य नहीं होगा।

सन्त लाल,
प्रोपराइटर।

सूचना

सूचित हो कि मैंने अपना नाम जगदीश प्रसाद से बदल कर जगदीश प्रसाद सोनी कर लिया है, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जायेगा। निवासी टाइप 1/14 सेक्टर-के, केन्द्रांचल कालोनी, अलीगंज, लखनऊ।

जगदीश प्रसाद सोनी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स देवड़ा इलेक्ट्रिक वर्क्स जिसका पंजीकृत पता 6, सरदार पटेल मार्ग, इलाहाबाद था जिसके अन्य साझीदार श्री पवन कुमार देवड़ा एवं श्री साकेत देवड़ा हैं। सभी साझीदारों के सहमति से मेसर्स देवड़ा इलेक्ट्रिक वर्क्स का पंजीकृत पता दिनांक 16 जून, 2015 से 58-ए, सरदार पटेल मार्ग, इलाहाबाद में परिवर्तित हो गया था और वर्तमान में उपरोक्त नये पंजीकृत पते पर फर्म कार्यरत है।

प्रपक देवड़ा इलेक्ट्रिक वर्क्स,
अशोक कुमार देवड़ा,
साझीदार।

सूचना

मेरा आई0सी0आई0सी0 बैंक में खाता न0 628201070164 शाखा सिविल लाइंस, प्रयागराज है। पहले मेरा नाम अतुल कुमार बैंक एवं अन्य अभिलेख में था। जिसमें मैंने सरनेम (कनौजिया) जोड़कर अतुल कुमार कनौजिया कर लिया है। जबकि मेरा नाम पैन कार्ड एवं आधार कार्ड में अतुल कुमार कनौजिया है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। भविष्य में मुझे अतुल कुमार कनौजिया पुत्र स्व0 राम लाल कनौजिया, नि0 18/22, ताशकन्द मार्ग, सिविल लाइंस, प्रयागराज के नाम से जाना पहचाना एवं दर्ज किया जाय।

अतुल कुमार कनौजिया।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स पी0कूल एण्ड कपनी (एजेन्सीज) पता 48, अमीनाबाद, लखनऊ का पंजीयन संख्या 177960, दिनांक 14 जनवरी, 1988 है, के प्रथम व द्वितीय पार्टनर, श्रीमती मधु खण्डेलवाल व अनूप कुमार खण्डेलवाल ने दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से साझीदारी से हट गये है इनके स्थान पर नये पार्टनर श्री अंकित खण्डेलवाल पुत्र स्व0 राकेश कुमार खण्डेलवाल व अचिन्त खण्डेलवाल पुत्र श्री अनूप कुमार खण्डेलवाल को दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से सम्मिलित किया गया है।

अनूप कुमार खण्डेलवाल,
पार्टनर,
मेसर्स पी0कूल एण्ड कपनी (एजेन्सीज),
पता- 48, अमीनाबाद, लखनऊ।

Scanned by CamScanner

सूचना

सार्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म जे0पी0 कान्स्ट्रक्सन कौवा करछना, प्रयागराज फर्म में एक नया भागीदार श्रीमती स्वाती केसरी को फर्म में 01 अप्रैल, 2019 से जोड़ा गया है। फर्म पर किसी भी वित्तीय संस्था अथवा बैंक का किसी प्रकार का लेन-देन नहीं है।

जय प्रकाश केशरी।

सूचना

फर्म मेसर्स एस0के0 इन्टरप्राइजेज, 480 महोलिया शिवपार, हरदोई में दिनांक 16 मई, 2019 से भागीदार (1) दीपक कुमार गुप्ता पुत्र उमेश चन्द्र गुप्ता, निवासी नवाबगंज साण्डी, हरदोई, (2) बलराम गुप्ता पुत्र शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, निवासी महोलिया शिवपार, हरदोई, (3) मोहित दीक्षित पुत्र सुरेन्द्र कुमार (4) सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरीराम, निवासी कटरा शाहाबाद, हरदोई को फर्म में शामिल किया गया है जबकि दिनांक 19 मई, 2019 से राजीव कुमार गुप्ता पुत्र शैलेन्द्र कुमार गुप्ता व रामजी गुप्ता पुत्र शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, निवासी महोलिया शिवपार, हरदोई भागीदार फर्म से अलग हो गये हैं।

सूचित कर्ता,
रामजी गुप्ता।

सूचना

मैं अपनी फर्म मेसर्स आर्यन कान्सट्रक्शन, 5बी/डी-131, वृन्दावन कालोनी, तेलीबाग, जिला लखनऊ में से श्रीमती शिव कुमारी को 08 जून, 2019 से साझेदारी से अलग कर दिया है व श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र सत्यनारायण, पलिया, पोस्ट पिण्डौली, रायबरेली को साझेदार बना लिया है। राजकुमार पुत्र राम खिलावन वर्मा, निवास–ग्राम सेंहगो, पूरबगांव, पोस्ट सेंहगो, पश्चिम रायबरेली।

सूचित कर्ता,
राज कुमार,
साझेदार।

पी0एस0यू0पी0–11 हिन्दी गजट–भाग 8–2019 ई0।
मुद्रक और प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

Scanned by CamScanner